

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०२२

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा १० के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा १० क का अंतःस्थापन.

१०-क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ग्राम पंचायत या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन ऐसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किया जाता है किन्तु उसके निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह मास की कालावधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तब इस प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायत या उसके वार्डों, अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों, अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन उस तारीख से अठारह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त समझा जाएगा, जिस तारीख को उक्त परिसीमन अथवा विभाजन प्रकाशित हुआ था तथा इन पंचायतों और उनके वार्डों, अथवा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार फिर से किया जाएगा.".

विहित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पंचायतों के परिसीमन और पंचायतों के वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का निरस्तीकरण.

३. (१) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १५ सन् २०२१) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्सस्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में पंचायतों के परिसीमन तथा पंचायतों के सभी तीनों स्तरों के निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों के विभाजन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में इस बिन्दु पर स्पष्टता नहीं है कि पंचायतों के परिसीमन तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों के वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन कार्यवाहियों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यदि कतिपय कालावधि में ऐसी पंचायतों के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की जाती है तो क्या स्थिति होगी और कितने समय तक पंचायतों का परिसीमन तथा वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन वैध रहेगा. अतएव, इस बिन्दु पर विधिक स्पष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए मूल अधिनियम में धारा १० क अंतःस्थापित किए जाने की आवश्यकता है.

२. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १५ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ८ मार्च, २०२२.

रामखेलावन पटेल

भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में पंचायतों के सभी तीनों स्तरों के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के परिसीमन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में इस बिन्दु की स्पष्टता नहीं है कि पंचायतों के परिसीमन तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों के वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन को अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यदि कतिपय कालावधि में ऐसी पंचायतों के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की जाती है तो क्या स्थिति होगी और कितने समय तक पंचायतों का परिसीमन तथा वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन वैध रहेगा. अतएव, इस बिन्दु पर विधिक स्पष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए मूल अधिनियम में धारा १०क अंतःस्थापित किए जाने की आवश्यकता थी. मामले की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं होने के कारण, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १५ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) से उद्धरण

* * * * *

- धारा-१० (१) प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए जो धारा ३ के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है एक ग्राम पंचायत होगी.
- (२) राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, किसी जिले को खण्डों में विभाजित कर सकेगा. अधिसूचना में प्रत्येक ऐसे खण्ड का नाम, उसका मुख्यालय और समाविष्ट क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा. प्रत्येक खण्ड के लिए एक जनपद पंचायत होगी जो उस खण्ड के नाम से जानी जाएगी.
- (३) प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होगी :

परन्तु तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन गठित प्रत्येक नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनेगी.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.